न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
प्रकरण संख्या :– 33/2017 (RCMS No. 2017/00130)

बिरूद्व –श्री रमेश पुत्र छोटा उर्फ होतमसिंह जाति गुर्जर निवासी चौकी का पुरा थाना कोतवाली धौलपुर
––गैरसायल

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 446 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थिति :–

1. ए0पी0पी0 धौलपुर
2. श्री ओमवीर सिंह गुर्जर अभिभाषक गैरसायल ।

निर्णय दिनांक 30.01.2018

यह प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2016 उनवानी सरकार बनाम हंसा उर्फ हंसराम अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में गैरसायल हंसा उर्फ हंसराम पुत्र भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी भोला का पुरा पुलिस थाना बाडी का रमेश पुत्र छोटा उर्फ होतमसिंह जाति गुर्जर निवासी चौकी का पुरा पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर जमानती होने एवं उसके द्वारा गैरसायल हंसा उर्फ हंसराम को न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशियों पर उपस्थित नही कर पाने के कारण उसकी जमानत राशि को जब्त कर धारा 446 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये जाने पर यह प्रकरण दर्ज कर जमानतदार श्री रमेश पुत्र छोटा उर्फ होतमसिंह को जमानत राशि की बसूली हेतु नोटिस जारी किया जाकर तलब गया।

गैरसायल रमेश पुत्र होतमसिंह द्वारा नोटिस का जबाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थी को मुलजिम हंसा की जमानत जप्त के बारे में पता नही था तथा प्रार्थी को जमानत जप्त की सूचना मिलते ही मुलजिम के बारे में पता चला था। मुलजिम हंसा किसी अन्य प्रकरण में जेल धौलपुर में बन्द है। उसके द्वारा 466 सी0आर0पी0 की कार्यवाही को माफ करने करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। अप्रार्थी रमेश उपस्थित नही है। ए0पी0पी0 द्वारा कथन किया कि गैरसायल हंसा उर्फ हंसराम पुत्र भैरोसिंह जाति गुर्जर निवासी भोला का पुरा पुलिस थाना बाडी को जिला काराग्रह धौलपुर से तलब जाने पर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

गैरसायल हंसा उर्फ हंसराम जिला काराग्रह से न्यायालय में उपस्थित हो चुका है। चूंकि गैरसायल के द्वारा प्रस्तुत की गई जमानत जप्त हो चुकी है अतः जप्तशुदा राशि की बसूली जमानतदार से बसूल की जावे। अभिभाषक गैरसायल द्वारा कथन किया हंसा जिला काराग्रह से न्यायालय में हाजिर हो चुका है जमानतदार गरीब व्यक्ति है उसको माफ करते हुये कार्यवाही को समाप्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । गैरसायल हंसा उर्फ हसंराम अन्य प्रकरण में जिला काराग्रह धौलपुर में निरूद्ध है तथा उसको जिला काराग्रह से तलब किये जाने पर उसको जिला काराग्रह धौलपुर की ओर से इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 69/2016 उनवानी सरकार बनाम हंसा उर्फ हंसराम अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में पेंश किया जा चुका है। चूंकि प्रकरण में जमानतदार की जमानत जप्त की गई है। अतः जमानतदार की जमानत जप्त होने के कारण उसको शस्ति के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि जमानतदार रमेश पुत्र छोटा उर्फ होतमसिंह गुर्जर निवासी चौकी का पुरा थाना कोतवाली धौलपुर द्वारा प्र0 सं0 69/2016 उनवानी सरकार बनाम हंसा उर्फ हंसराम में प्रस्तुत जमानत जप्त होने के कारण रमेश पुत्र छोटा उर्फ होतमसिंह को 500/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। राशि बसूल करने एवं राज्य कोष में जमा कराये जाने हेतु तहसीलदार धौलपुर को आदेश जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर